माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./परीक्षा/प्रायोगिक/2023/2897 भोपाल, दिनांक : 10 अप्रैल, 2023

प्रति,

प्रभारी अध्ययन केन्द्र,

विषय : सामान्य/विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र संबंधी मानदण्ड - मई/जून-2023।

महोदय/महोदया,

प्रायोगिक परीक्षा सुचारु रूप से संचालित हो सकें इस हेतु कम्प्यूटर एवं मीडिया पाठ्यक्रमों के लिये पृथक-पृथक निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित हैं। ये मानदण्ड **मई/जून-2023** की प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रभावी रहेंगे।

अध्ययन केन्द्र के नियमित छात्रों की संख्या	मूल्यांकन हेतु छात्रों की अधिकतम संख्या	अध्ययन केन्द्र द्वारा परीक्षक को सही जानकारी न देने पर/त्रुटि पूर्ण पर्ण/प्रतिपर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पूर्णांक लिखने पर संबंधित केन्द्र पर कार्यवाही	उत्तर पुस्तिका/प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही होने/पर्ण/प्रतिपर्ण पर कोड अंकित न किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण अंक आवंटित करने पर संबंधित परीक्षक पर कार्यवाही
1	2	3	4
1. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए			
BCA, M.Sc.(CS) और B.Com (Computer Application) के लिए 80 छात्र होने पर केन्द्र बनाया जा सकेगा। किन्तु छात्र संख्या कम होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र निर्माण के लिए घोषित तिथि तक अध्ययन केन्द्र आवेदन कर सकता है किन्तु वहां पर विश्वविद्यालय का सैद्धांतिक परीक्षा केन्द्र होना अनिवार्य है।	एक शहर में स्थित एक परीक्षा केन्द्र के 300 छात्रों की अधिकतम सीमा किन्तु यदि किसी अन्य शहर में स्थित केन्द्र की प्रायोगिक परीक्षा भी संपन्न हो तो उस स्थिति में 300 अतिरिक्त छात्रों तक की परीक्षा भी परीक्षक संचालित कर सकेंगें।	संबंधित केन्द्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	उक्त त्रुटि पाई जाने पर प्रस्तुत पारिश्रमिक देयक अमान्य किया जावेगा अथवा गैर जिम्मेदार परीक्षक को भविष्य में परीक्षक की सूची से विलोपित करने पर विचार भी किया जावेगा।
2. मीडिया पाठ्यक्रम के लिए			
MJ, MAJ, MA(MC), MA(BJ), MA(APR), BAMC B.Sc.(EM) और BBA(MC/APR) के मिलाकर 25 छात्र होने पर केन्द्र बनाया जा सकेगा। तथापि छात्र संख्या कम होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के निर्माण के लिए संस्था आवेदन कर सकता है।	एक ही शहर में स्थित एक परीक्षा केन्द्र के लिए अधिकतम सीमा 100 छात्र है। यदि किसी अन्य शहर में स्थित अध्ययन केन्द्र की प्रायोगिक परीक्षा का कार्य भी संपन्न होना है तो केन्द्र 100 अतिरिक्त छात्रों की सीमा तक परीक्षा आयोजित कर सकेंगें।	संबंधित केन्द्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	उक्त त्रुटि पाई जाने पर प्रस्तुत पारिश्रमिक देयक अमान्य किया जावेगा अथवा गैर जिम्मेदार परीक्षक को भविष्य में परीक्षक की सूची से विलोपित करने पर विचार भी किया जावेगा।

3. प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र एवं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र केवल **उन्हीं शहरों में** बनाये जावेंगे जहां पर **सैद्धांतिक परीक्षा केन्द्र** हैं।

4. अध्ययन केन्द्रों को प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा केवल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से ही सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व कराना अनिवार्य है।

5. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे सभी अध्ययन केन्द्र जहां छात्रो की संख्या 30 से अधिक किन्तु 80 से कम है तथा वे ऐसे शहर में स्थित हैं जहां सैद्धांतिक परीक्षा का केन्द्र भी है, को विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र की अनुमति हेतु रु. 8,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो विश्वविद्यालय के पक्ष में देय हो, जमा करने पर विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति के लिए आवेदन उपरांत विचार किया जावेगा। विशेष प्रायोगिक केन्द्र को प्रायोगिक परीक्षा के लिए अन्य किसी व्यय की स्वीकृति की पात्रता नही है। **यह राशि 'नॉन रिफन्डेबल' है तथा उसको अन्य मद में समायोजित नही किया जावेगा।**

6. मीडिया पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे सभी अध्ययन केन्द्र जहां छात्रो की संख्या 15 से अधिक किन्तु 25 से कम है तथा वह ऐसे शहर में स्थित है जहां पर सैद्धातिक परीक्षा का केन्द्र है, को रु. 5,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि विश्वविद्यालय के नाम से देय हो, भेजने पर विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र को प्रायोगिक परीक्षा के लिए अन्य व्यय की स्वीकृति की पात्रता नही है। **यह राशि 'नॉन रिफन्डेबल' है तथा उसे अन्य किसी मद में समायोजित नही किया जावेगा।**

7. ऐसे अध्ययन केन्द्र, जहां पर मीडिया एवं कम्प्यूटर दोनों पाठ्यक्रम संचालित हैं उन्हें विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए पृथक-पृथक आवेदन एवं निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजना आवश्यक है।

8. विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए संलग्न फार्म, कण्डिका-5 एवं 6 में वर्णित निर्धारित शुल्क के साथ **मई/जून-2023** में आयोजित परीक्षा के लिए **दिनांक 24/04/2023** तक विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप में प्रस्तुत करें। जो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं उनपर विचार नहीं किया जायेगा। **निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र स्थापित करने संबंधी आवेदनों पर कोई विचार नही होगा।**

9. पाठ्यक्रमवार नियमित प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या, प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को निर्धारित प्रपत्र में एवं सूची संलग्न कर **मई/जून-2023** में होने वाली परीक्षा के लिए नियत तिथि **दिनांक 24/04/2023** तक भेजना अनिवार्य है। सही जानकारी न देने पर विश्वविद्यालय संबधित अध्ययन केन्द्र के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

10. ऐसे अध्ययन केन्द्र जहां प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए निर्धारित संख्या (**कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु 30 से 80 छात्र एवं मीडिया पाठ्यक्रम हेतु 15 से 25 छात्र**) से कम छात्र संख्या है, यदि वे अपने छात्रों को किसी अन्य अध्ययन केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो अनिवार्यतः निर्धारित तिथि **24/04/2023** तक विश्वविद्यालय को अवगत कर देवें। अन्यथा परीक्षा केन्द्र आवंटित हो जाने के उपरांत इस विषय में कोई कार्यवाही संभव नहीं हैं।

11. प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के संबंध में आवेदन या इस विषय से संबंधित सभी पत्राचार **मई/जून-2023** में आयोजित परीक्षा के लिए **दिनांक 24/04/2023** तक ही स्वीकारें किए जावेंगे।

12. ऐसे अध्ययन केन्द्र जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, उन्हें उनकी संस्था के छात्रों की परीक्षा के लिए 'कम्प्यूटर हायरिंग व्यय' का भुगतान देय नहीं है, किन्तु अन्य आवंटित अध्ययन केन्द्रों के छात्र यदि उनके केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ऐसे छात्रों की संख्या के अनुरुप 'कम्प्यूटर हायरिंग व्यय' का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

13. **डी.सी.ए एवं पी.जी.डी.सी.ए. (DCA and PGDCA) की प्रायोगिक परीक्षा अध्ययन केन्द्रों में ही सम्पन्न कराई जावेगी। पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए. के प्रायोगिक परीक्षा के अंक आनलाइन के माध्यम से जमा किये जावेगें एवं अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक ऑफलाईन पर्ण/प्रतिपर्ण में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये ही स्वीकार किये जावेगें।**

14. **समस्त पाठ्यक्रमों के नियमित/बैकलॉग छात्रों के आन्तरिक मूल्यांकन के अंक एम.पी. आनलाईन के माध्यम से भेजे जाएं।**

15. कृपया उपरोक्त मानदण्ड का पालन सुनिश्चित करें।

धन्यवाद,

भवदीय

(डॉ. राजेश पाठक)
परीक्षा नियंत्रक

संलग्न :- 1) विशेष प्रायोगिक परीक्षा हेतु फार्म - कम्प्यूटर कोर्स।
2) विशेष प्रायोगिक परीक्षा हेतु फार्म - मीडिया कोर्स।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन

(मीडिया पाठ्यक्रम के लिए)

(संस्था का नाम) .... संस्था का कोड ....

मई/जून-2023 की परीक्षा हेतु संलग्न सूची के अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत है :-

1. परीक्षा आवेदन की संख्या का विवरण निम्नवत है :

क्र.	पाठ्यक्रम	परीक्षा आवेदन/ छात्रों की संख्या (बैकलॉग छोड़कर)
1.	एम. जे.	
2.	एम.ए. (एम.सी.)	
3.	एम.ए. (बी.जे.)	
4.	एम.ए. (ए.पी.आर.)	
5.	एम.ए. जे.	
6.	बी. ए.(एम.सी.)	
	योग	

क्र.	पाठ्यक्रम	परीक्षा आवेदन/ छात्रों की संख्या (बैकलॉग छोड़कर)
7.	बी.एस.सी. (ई.एम.)	
8.	बीबीए (एमसी)/ (एपीआर)	
	योग	

2. सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित परीक्षा केन्द्र का नाम एवं शहर ....

3. मेरे अध्ययन केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से वास्तविक संख्या कम है, किन्तु मैं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र स्थापित नही करना चाहता । कृपया हमारे अध्ययन केन्द्र के छात्रों को .... प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र आवंटित करने की कृपा करें ।

4. प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा के लिए उपयोग में आने वाली जानकारी एवं सामग्री आवंटित परीक्षा केन्द्र को हम यथा समय उपलब्ध करा देंगे।

विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र द्वारा दी जाने वाली जानकारी

5. मैं विश्वविद्यालय से अनुरोध करता हूं कि मेरी संस्था को मई/जून-2023 की परीक्षा के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने की कृपा करें।

6. विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र का विवरण एवं फीस की राशि रु. 5,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है।
   - i) अध्ययन केन्द्र का नाम एवं पता ....
   - ii) अध्ययन केन्द्र कोड ....
   - iii) दूरभाष एस.टी.डी. सहित ....
   - iv) ई-मेल पता ....
   - v) डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. .... राशि रु. 5,000/- दिनांक .... संलग्न है।

7. मैं वचन देता/देती हूं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र संपन्न कराऊंगा/कराऊंगी।

दिनांक : ..../........../..................

स्थान : ....

अध्ययन केन्द्र संचालक की
मुहर (सील) एवं हस्ताक्षर

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन

(कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए)

(संस्था का नाम) .... संस्था का कोड ....

मई/जून-2023 की परीक्षा में संलग्न सूची के अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत है :-

1. **नियमित छात्रों की संख्या** का विवरण पाठ्यक्रमवार निम्नानुसार है :-

(i) बी. सी. ए. = ...

(ii) एम. एससी. (सी. एस.) = ...

(iii) बी. कॉम (कम्प्यूटर) = ...

कुल योग ....

2. सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित परीक्षा केन्द्र का नाम एवं शहर ....

3. मेरे अध्ययन केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या से वास्तविक संख्या कम है किन्तु मैं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र स्थापित नहीं करना चाहता। कृपया हमारे अध्ययन केन्द्र के छात्रों को .... प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र आवंटित करने की कृपा करें।

4. प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा के लिए उपयोग में आने वाली जानकारी एवं सामग्री हम यथा समय आवंटित परीक्षा केन्द्र को उपलब्ध करा देंगे।

विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र द्वारा दी जाने वाली जानकारी

5. मैं विश्वविद्यालय से अनुरोध करता हूं कि मेरी संस्था को मई/जून-2023 की परीक्षा के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने की कृपा करें।

6. विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र का विवरण एवं शुल्क की राशि रु. 8,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट विवरण सहित संलग्न है।

i) अध्ययन केन्द्र का नाम एवं पता ....

ii) अध्ययन केन्द्र कोड ....

iii) दूरभाष एस.टी.डी. सहित ....

iv) ई-मेल पता ....

v) डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. .... राशि रु. 8,000/- दिनांक .... संलग्न है।
बैंक का नाम .... भोपाल में देय

7. मैं वचन देता/देती हूं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र संपन्न कराऊंगा/कराऊंगी।

दिनांक : ..../............/....................

स्थान : ....

अध्ययन केन्द्र संचालक की
मुहर (सील) एवं हस्ताक्षर